न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24 / 2020

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

1. जोगाराम पुत्र वगताराम
2. प्रतापाराम पुत्र वगताराम
3. खरथाराम पुत्र वगताराम
4. नरपतराम पुत्र वगताराम
5. हरखुदेवी पत्नी वगताराम
6. उदाराम पुत्र जयराम
7. जीयों बेवा मालाराम
8. डालूराम पुत्र सोनाराम
9. आदुराम पुत्र चेतनराम
10. जोगाराम पुत्र मालाराम
11. तेजाराम पुत्र चेतनराम
12. प्रकाश पुत्र चेतनराम
13. आसूदेवी पत्नी चेतनराम

जाति कुम्हार निवासी बीबड़ा, बोला तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. रूगाराम पुत्र जयराम
2. दीपाराम पुत्र जयराम
3. खेमाराम पुत्र वगताराम
4. कुनी बेवा जयराम
5. खेताराम पुत्र चेतनराम

जाति कुम्हार निवासी बीबड़ा, बोला तहसील व जिला बाड़मेर

6. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / राजस्व / 88 दिनांक 16.01.2013 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 1से5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री मांगीलाल प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा भूमि

जिला कलक्टर बाड़मेर

के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 16.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बीबड़ा के खेत खसरा नम्बर 6, 7, 27, 31, 47, 117 / 49 रकबा क्रमशः 175–03, 01–13, 12–11, 34–15, 97–12, 98–06 बीघा भूमि के खातेदारान ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 केम्प बोला में दिनांक 15.11.2010 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत बोला द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे (विभाजन पत्र) की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत है। भूमि सह खातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2013 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार ब[illegible]राने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा [illegible] अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इक[illegible] साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। हल्का पटवारी ने विभा[illegible] हेतु पूर्व में तैयार नक्शे को बदलते हुए अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंगुष्ट निशान पर नक्शा तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया जिसकी अपीलांट्स को अनपढ़ होने से कोई ज्ञान नहीं हो सका और अपीलांट्स के शिविर से चले जाने के बाद विभाजन तहसीलदार से तस्दीक करा दिया। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलांट्स अनपढ़ व निरक्षर होने के कारण उन्होने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर कागजात रेस्पोडेंट्स व हल्का पटवारी को दिये थे उसके बाद अपीलांट्स को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी ने रेस्पोडेंट्स से मिलकर पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा मुर्तिब किया। इससे विभाजन नक्शा प्रारम्भ से ही दूषित आदेश की श्रेणी में आने से निरस्त योग्य हैं। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके की स्थिति के विपरित टिप्पणी कर पक्षकारान की सहमति बताई हैं जबकि वास्तव में पटवारी हल्का मौके पर गये ही नही और कब्जा की स्थिति को देखे बिना ही गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश मे जो नक्शा प्रस्तुत किया गया उसकी जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त अनुसार नही होने की जानकारी अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब अपीलांट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने के लिये वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा की प्रति प्राप्त की तो गलत तरमीम नक्शा की जानकारी हुई । इस पर अपीलांट्स ने विभाजन प्रस्ताव की प्रति दिनांक 17.02.2020 को प्राप्त की तो सर्वप्रथम अपीलांट्स को जानकारी हुई तथा जानकारी होने से सम्यक तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की है जिसके प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 16.01.2013 निरस्त करते हुए विवादित भूमि का नये सिरे से पक्षकारान के कब्जे–काश्त व बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट्स की तलबी हेतु जारी नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए तथा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

6. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन [illegible] जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रशासन [illegible] 2013 के तहत कैम्प बोला में दिनांक 16.01.2013 को [illegible] समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अ[illegible]र आपसी रजामंदी व समझौता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर अंकित कराये गये हैं जिसमे सभी पक्षकारान ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। पक्षकारान ने सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 7 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी 20–25 दिन पूर्व ही होना प्रकट किया हैं जबकि अपील के संलग्न प्रस्तुत नक्शा जमाबन्दी अनुसार अपीलांट सं. 3 व 5 ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेंट सं. 6 के पक्ष में रहन रखी जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अंकित करवाये गये हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने का सरासर मिथ्या कथन किया हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से मयाद के बिन्दु पर खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन मिथ्या कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर